प्रेस को सूचना नोट(प्रेस विज्ञप्ति संख्या 92/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

विषय: सुरक्षित संदेश भेजने के लिए एसएमएस ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने में भादूविप्रा के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम।

नई दिल्ली, 19 दिसंबर 2024-भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने सभी वाणिज्यिक एसएमएस की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु एक फ्रेमवर्क को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, जो एक सुरक्षित और स्पैम मुक्त मैसेजिंग पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल वाणिज्यिक मैसेजिंग सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को स्पैम से बचाने के लिए भादूविप्रा के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, व्यवसाय, बैंक और सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ उनके टेलीमार्केटर्स (टीएम), प्रमुख संस्थाओं (पीई) आदि को ब्लॉकचेन-आधारित डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) के माध्यम से अपने संदेश संचरण पथों की घोषणा और पंजीकरण कराना आवश्यक था। यह चेन घोषणा और पंजीकरण प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा से समझौता किए बिना या एसएमएस डिलीवरी में देरी किए बिना, हर संदेश की शुरुआत से लेकर उसकी डिलीवरी तक की एंड-टू-एंड ट्रेसेबिलिटी को सुनिश्चित करती है।

इसे क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, भादूविप्रा ने दिनांक 1 नवंबर 2024 से भेजे जाने वाले सभी वाणिज्यिक संदेशों की ट्रेसेबिलिटी को अधिदेशित करते हुए दिनांक 20 अगस्त 2024 को एक निर्देश जारी किया। इस कार्यान्वयन में शामिल गतिविधियों की अधिकता व जटिलता को जानते हुए, भादूविप्रा ने बैंकिंग,बीमा,स्वास्थ्य सेवा और स्थावर संपदा जैसे विविध क्षेत्रों में लगभग 1.13 लाख सक्रिय पीई को सुचारू रूप से ऑनबोर्डिंग में सक्षम करने हेतु अनुपालन की समयसीमा को पहले दिनांक 30 नवंबर 2024 और बाद में दिनांक 10 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया।

भादूविप्रा ने जागरूकता को बढ़ावा देने और इन अनिवार्य प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए जैसे प्रमुख क्षेत्रीय विनियामकों और एनआईसी, सीडैक जैसी सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया। डीएलटी प्रणाली से एकीकृत करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं ने लक्षित आउटरीच अभियानों

और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से पीई और टीएम के तकनीकी कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन व्यवधानों को कम करने के लिए, भादूविप्रा ने प्रारंभिक प्रवर्तन अवधि के दौरान एक नवोन्मेषी कार्यान्वयन रणनीति पेश की। चेन बाइंडिंग विनियमन तकनीकी रूप से लागू किए गए थे और अघोषित पथों के माध्यम से भेजे गए संदेशों को अस्थायी रूप से अनुमति दी गई थी, लेकिन त्रुटि कोड के साथ चिह्नित किया गया था। ओटीपी या अन्य समय-संवेदनशील संचार जैसे महत्वपूर्ण संदेशों को बाधित किए बिना सुधारात्मक कार्रवाई सक्षम करने के लिए इन त्रुटि कोडों को संबंधित पीई के साथ साझा किया गया था। इस उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण ने विनियामक अनुपालन को बनाए रखते हुए निर्बाध संदेश सेवाओं को सुनिश्चित किया।

भादूविप्रा के नेतृत्व में इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, सभी प्रमुख पीई व टीएम ने अब एक्सेस प्रदाताओं के साथ अपने संदेश संचरण श्रृंखलाओं को पंजीकृत कर लिया है। दिनांक 11 दिसंबर 2024 से प्रभावी, अपंजीकृत पथों के माध्यम से भेजे गए एसएमएस ट्रैफ़िक को अस्वीकार कर दिया जा रहा है, जो इस बड़े अभ्यास के परिणाम को दर्शाता है।

इस उपलब्धि ने स्पैम से निपटने और दूरसंचार सेवाओं में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने की दिशा में भादूविप्रा की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। ट्रेसेबिलिटी पहल भादूविप्रा द्वारा शुरू किए गए अन्य स्पैम विरोधी उपायों जैसे कि स्पैमर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी दूरसंचार संसाधनों का वियोग, एसएमएस में यूआरएल श्वेतसूचीयन और 140-सीरीज़ टेलीमार्केटर्स का डीएलटी प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेशन का पूरक है।

भादूविप्रा सभी के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना और कड़े कदम लागू करना जारी रखेगा।

ह/-

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

*****